न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 108/2022

प्रार्थीगण :–

1. करनाराम पुत्र गोरधनराम
2. कनाराम पुत्र गोरधनराम
3. जीवाराम पुत्र गोरधनराम
4. प्रकाश पुत्र गोरधनराम
5. मीरादेवी पत्नी गोरधनराम
   जाति जाट निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. नानजीराम पुत्र लाधाराम
2. दलूदेवी पत्नी हाजाराम
3. हाजाराम पुत्र डामरराम फौत के कायम मुकाम :–
   3/1 मनराराम पुत्र हाजाराम
   3/2 पांचाराम पुत्र हााराम
   3/3 वीरमाराम पुत्र हाजाराम
   3/4 रमेश पुत्र हाजाराम
4. हीरा दत्तक पुत्र तुलछा जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर
5. छोगाराम पुत्र गणेशाराम
6. मगाराम पुत्र कस्तुराराम
7. मांगाराम पुत्र गणेशाराम जाति कुम्हार निवासी सोढों की ढाणी
8. मालाराम पुत्र भगवानाराम
9. चतराराम पुत्र पूराराम
10. दलाराम पुत्र पूराराम
11. नाथाराम पुत्र पूराराम
12. वरजू पत्नी पूराराम जाति कलबी निवासी भाखरपुरा तहसील गुड़ामालानी
13. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

3. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
4. विप्रार्थीगण – एकतरफा

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 23.08.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वतः 2076–2079 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 460 रकबा 7.

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

2762 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 460 रकबा 7.2762 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/— शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...3/8/22... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:53:11 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी